न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—122/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
पप्पू कंवर पत्नी स्व.गणपतसिंह जी जाति राजपुत निवासी— धांगड़वास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।		1 प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धांगडवास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान । 2 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति सोजत कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सोनराज के फील्ड सिरे सिनेमा के पास सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली 3 तहसीलदार (भूमि धारक), तहसील कार्यालय सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 (ए), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 एवम् 110 111, 128 व 131 भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता वादीया उपस्थित।
2. प्रतिवादी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 06/09/23

वादीया ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 (ए), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 एवम् 110 111, 128 व 131 भू—राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम धांगड़वास के सेटलमेन्ट के पुराने खसरा नम्बर 210 रकबा 12.5 बीघा यानि 2.0000 हैक्टर की भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 401 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा संख्या 403 रकबा 0.6800 हैक्टर, खसरा संख्या 402 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.2800 हैक्टर कुल रकबा 1.0700 हैक्टर कृषि भूमि से मिलकर बनाये गये, शेष कृषि भूमि 0.9300 हैक्टर को गै.मु. आबादी खसरा नम्बर 316 में सम्मिलित की गई। सेटलमेन्ट अधिकारीयो की त्रुटी की वजह से दौराने सेटलमेन्ट पुराने खसरा नम्बर 210 रकबा 12.5 बीघा यानि 2.0000 हैक्टर का रकबा सही कायम न कर 12.5 बीघा यानि 2.0000 हैक्टर के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मात्र 1.0700 हैक्टर कृषि भूमि ही कायम की गई। शेष 0.9300 हेक्टर कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड व राजस्व ट्रेस नक्शे में बिना इन्द्राज किये गे.मु. आबादी खसरा संख्या 316 में सम्मिलित किया गया। सरहद मौजा ग्राम धांगड़ावास में वादीया की कब्जासुदा मालिकाना, स्वामित्व का भूखण्ड़ आबादी क्षेत्र में आया हुआ स्थित है, जिसके पड़ौस पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में आम रास्ता, उतर में आम रास्ता व निकाल, दक्षिण में सरकारी क्वाटर व वादीया का शेष भूखण्ड़। क्षेत्रफल पूर्वी भूजा 135 फीट, पश्चिमी भूजा 115 फीट, उतरी भूजा 44 फीट, दक्षिणी भूजा 100 फीट कुल क्षेत्रफल 9000 वर्गफुट उक्त पड़ौस बीच का भूखण्ड़ सरहद मौजा ग्राम धांड़वास के वर्तमान खसरा नम्बर 403 रकबा 0.6800 हैक्टर में आया हुआ स्थित है। जो पुराने खसरा नम्बर 210 रकबा 12.5 बीघा कृषि भूमि से मिलकर बना है, जो भूमि ग्राम पंचायत के गै.मु. आबादी क्षेत्र में आई हुई स्थित है। वादीया का अपने उपरोक्त पड़ौस बीच के भूखण्ड का तथा दक्षिण दिशा में स्थित शेष भू—भाग पर पिछले करीब 50 वर्षो से लगातार कदीमी रूप से उपयोग एवम् उपयोग करती आ रही है। जिससे उपरोक्त पड़ौस बीच का भूखण्ड व दक्षिण दिशा में स्थित शेष भूखण्ड की एकमात्र मालिक वादीया ही है । ग्राम धांगडवास के वर्तमान खसरा संख्या 403 रकबा 0.6800 हैक्टर कृषि भूमि में से 0.3044 हैक्टर कृषि भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी, सोजत

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा तथा 0.02516 हैक्टर भूमि पर वादी का कब्जा तथा 0.0760 हैक्टर भूमि पर गै.मु.रास्ता जो कि ग्राम धांगड़वास से रेपड़ावास जाने की आम सड़क आई हुई स्थित है. जिसे डामरीकृत पी.डब्लू.डी. विभाग सोजत द्वारा किया गया है। शेष भू–भाग पर जलदाय विभाग के क्वाटर, ग्राम पंचायत चाड़वास द्वारा निर्मित दुकाने, ग्राम धांगड़वास के ग्रामवासीयों द्वारा बनाया गया सार्वजनिक हनुमान मंदिर बना हुआ है। इस प्रकार दौराने सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट अधिकारीयो द्वारा वादीया की कब्जासुदा भूमि, आम रास्ते की भूमि, ग्राम पंचायत की कब्जासुदा भूमि, सार्वजनिक मंदिर की भूमि व जलदाय विभाग की कब्जासुदा भूमि को सम्मिलित करते हुये सम्पूर्ण भूमि 0.6800 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी, जो खातेदारी गलती व त्रुटीवश दर्ज की गई है। इसलिये वादीया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज खसरा संख्या 403 रकबा 0.6800 हैक्टर में से 0.3756 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार निरस्त करवाये जाने के अधिकारीणी है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम सेटलमेन्ट अधिकारीयो द्वारा खसरा संख्या 403 रकबा 0.6800 हैक्टर की सम्पूर्ण कृषि भूमि गलती व त्रुटी वश दर्ज हो जाने का नाजायज फायदा उठाते हुये वादीया को उसकी कब्जासुदा, हक हकूक, मालिकाना व स्वामित्व की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है, यदि वादीया को उपरोक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 403 रकबा 0.2516 हैक्टर भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो वादीया को अपूर्णिय क्षति कारित होगी, जिसका मुल्यांकन कदापी रूपयो पैसो में नही आका जा सकेंगा। ग्राम धांगड़वास के वर्तमान खसरा संख्या 403 रकबा 0.6800 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कभी भी कब्जा इत्यादि नही रहा है और न ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा उपरोक्त भूमि को खेल मैदान के रूप में उपयोग एवम् उपभोग किया हो, यहाँ तक की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को इस बात की किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी। इसलिये खसरा संख्या 348 रकबा 3.2500 हैक्टर भूमि में से 1.3000 हैक्टर भूमि खेल मैदान हेतु आवंटित किये जाने हेतु निवेदन करने पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश दिनांक 15/12/2004 को प्रतिवादी संख्या 1 को खेल मैदान हेतु भूमि आवंटित की गई। सेटलमेन्ट अधिकारीयो की गलती व त्रुटी की वजह से राजस्व ट्रेस नक्शे में व राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 403 का सम्पूर्ण रकबा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर राजस्व ट्रेस नक्शे में तरमीम किया गया। सेटलमेन्ट अधिकारीयो की उक्त त्रुटी व गलती की वजह से मौके पर भारी विवाद, लड़ाई–झगड़े व मुकदमेबाजी हो रही है, क्योंकि मौके की स्थिति व राजस्व रेकर्ड की स्थिति भिन्न भिन्न है, जो मात्र सही तरीके से पैमाईश, माप व सीमांकन व मौके की बिना जाँच प्रताड़ किये की जाने की वजह से राजस्व ट्रेस नक्शे में व राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम व गलत इन्द्राज किया गया है, जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक एवम् न्यायसंगत है। इसलिये उपरोक्त वादरथ कृषि भूमि के पुराने खसरा नम्बर 210 रकबा 12.5 बीघा से बने नये खसरा संख्या 403 रकबा 0.6800 हैक्टर कृषि भूमि का माप व सीमांकन किया जाकर दौराने सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट अधिकारीयो द्वारा हुई त्रुटी को दुरूस्त किया जाकर मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक एवम् न्याय संगत है। इस प्रकार वाद पेश कर सरहद मौजा ग्राम धांगड़वास के वर्तमान खसरा संख्या 403 रकबा 0.6800 हैक्टर कृषि भूमि में से रकबा 0. 3756 हैक्टर कृषि भूमि की खातेदारी निरस्त किये जाने तथा शेष भूमि 0.3025 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज की जावे तथा 0.3756 हैक्टर भूमि में से 0. 2516 हैक्टर भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज जाने व, शेष भूमि यानि 0.1240 हैक्टर भूमि जलदाय विभाग, गै.मु. रास्ता व मौके की भौतिक व वास्तविक स्थिति के अनुसार राजस्व रेकर्ड व नक्शे में दर्ज कर अलग से तरमीम की जाने की ईशतदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 16.05.2022 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 03 जबाब दावा पेश नहीं करना चाहने जबाब दावा पेश करने का अवसर समाप्त किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को न्यायालय हाजा के पत्रांक/कोर्ट/2022/1195 दिनांक 03.11.2022 के जरिए राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2023/1031 दिनांक 10.07.2023 को

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली

अपनी रिपोर्ट पेश कर अंकित किया है कि न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में मौका निरीक्षण रिपोर्ट की जॉच हेतु नायब तहसीलदार, सोजत, भू0अ0निरी0 चाडवास, पटवारी चाडवास व प0ह0 सरदारसमंद के साथ मौके पर पहुचे। उक्त अनवान के प्रकरण अन्तर्गत ग्राम धांगड़वास के पुराने ख0न0 210 जिसके भूमि एकीकरण के बाद नये ख0न0 401, 402, 403, 404 बने थे की भूमि का मौका व रेकर्ड अनुरूप सेटलमेंट से पूर्व व सेटलमेंट के बाद का मौका व राजस्व रेकर्ड का संयुक्त रूप से जॉच की गई जो इस प्रकार है:–

ए. रेकर्ड की स्थितिः– नये खसरा नंबर 401, 402, 403, 404 सेटलमेंट से पूर्व खसरा नंबर 201 के भाग है। अर्थात् भूमि एकीकरण के बाद पुराने खसरा नंबर के नये ख0न0 401, 402, 403, 404 है। भूमि एकीकरण से पूर्व ख0न0 210 का रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा था। जबकि भूमि एकीकरण के बाद बने नये खसरा नंबर 401, 402, 403, 404 का रकबा क्रमशः 0.09 है0 किस्म गै0मु0 शिक्षा विभाग, ख0न0 402 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 शमशान, ख0न0 403 रकबा 0.68 है0 किस्म गै0मु0 शिक्षा विभाग, ख0न0 404 रकबा 0.28 है0 राज सरकार दर्ज है। इन नये खसरो का कुल रकबा 1. 07 है0 यानि 06 बीघा 14 बिस्वा है अर्थात् भूमि एकीकरण में पूर्व खसरा नंबर 210 के रकबे व नये खसरो के रकबे में 06 बीघा का अंतर है। जो मिलान क्षेत्रफल में दर्ज है। भूमि एकीकरण से पूर्व व बाद के खसरे के नक्शे के आकार व डिजाईन में फर्क है अर्थात् पेमाना के आधार पर दोनो खसरो अर्थात् भूमि एकीकरण से पूर्व नक्शा व भूमि एकीकरण के बाद के नक्शे एक दूसरे को सुपरइम्पोज नहीं करते है। जोकि नजरी नक्शे में बताया गया है। दोनो खसरे भूमि एकीकरण से पूर्व खसरा नंबर 210 व बाद के खसरे 401, 402, 403, 404 का सुपर इम्पोज नक्शा मौका फर्द के साथ संलग्न है। भूमि एकीकरण से पूर्व व बाद के खसरे को पैमाना के आधार पर सुपर इम्पोज करने पर पुराना ख0न0 210 का कुछ हिस्सा वर्तमान ख0न0 316 जो कि गै0मु0 आबादी में आता है तथा वर्तमान मौके पर स्कूल भूमि एकीकरण से पूर्व ख0न0 210 में ही स्थित है।

बी. मौके की स्थितिः– मौके पर ख0न0 401, 402, 403, 404 में राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय, एक पुराना मंदिर, ग्राम पंचायत की दो दुकाने, पीएचडी विभाग का क्वार्टर, चौहान वंशज की एक चबूतरा, पप्पुकंवर पत्नि गणपतसिंह का एक रहवासिया कमरा मय चार दिवारी तथा पप्पुकंवर व स्कूल के बीच लगभग 30 फुट चौडी डामर व कच्ची सड़क बनी हुई है। मौके पर राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय धांगड़वास लगभग 0.77 है0 भूमि पर काबिज है। जो पूराने ख0न0 210 में स्थित हैं। पप्पुकंवर पत्नि गणपतसिंह भाग ख0न0 316 गै0मु0 आबादी से सटा हुआ है तथा भूमि एकीकरण से पूर्व ख0न0 210 कुछ भाग वर्तमान ख0न0 316 जो कि गै0मु0आबादी में आता है जो पुराने व वर्तमान सुपर इम्पोज नक्शे में है। मौका फर्द इस प्रकार तैयार की गई।

अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि तरमीम त्रूटि पूर्ण है जिससे वे पृथक से शहादत पेश नही करना चाहते है। लिहाजा शहादत वादी बन्द किया जाती है। प्रतिवादी द्वारा भी शहादत पेश नही करना चाहने से शहादत प्रतिवादी बन्द की जाती है।

बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सूनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी की भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व आबादी में दर्ज थी। सेटलमेन्ट के पश्चात खसरा नम्बर 210 के नये खसरा नम्बर 401 से 404 बने जिसमें भूमि को कम कर दिया गया। मौके पर भूमि आज भी बराबर उपलब्ध है। सेटलमेन्ट के खसरा मिलान में 403 की भूमि को बिना किसी विधिक अधिकार के शिक्षा विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया। जिससे सेटलमेन्ट में हुई त्रूटि को दुरूस्त किये जाने एवं खसरा संख्या 403 रकबा 0. 6800 हैक्टर कृषि भूमि में से रकबा 0. 3756 हैक्टर कृषि भूमि की खातेदारी निरस्त किये जाने तथा शेष भूमि 0.3025 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज की जाने, 0.3756 हैक्टर भूमि में से 0.2516 हैक्टर भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज जाने , शेष भूमि यानि 0.1240 हैक्टर भूमि जलदाय विभाग, गै.मु. रास्ता व मौके की भौतिक व वास्तविक स्थिति के अनुसार राजस्व रेकर्ड व नक्शे में दर्ज कर अलग से तरमीम की जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

तहसीलदार सोजत ने व्यक्त किया कि शिक्षा विभाग की भूमि की खातेदारी को निरस्त नही किया जा सकता है। खसरा नम्बर 210 से बने नये खसरा नम्बर 401 से 404 की तरमीम अशुद्ध है जिसे दुरूस्त किये जाने में कोई आपति नही हे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र फहरिस्त मय दस्तावेज, अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं अप्रार्थी तहसीलदार पर गौर कर मनन किया गया। तहसीलदार सोजत की रिपोर्टानुसार सरहद मौजा ग्राम धागडवास के गत खसरा नम्बर 210 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 401 से 404 बने जिसमें खसरा नम्बर 401 रकबा 0.09हैक्टर किस्म गै.मु. शिक्षा विभाग, खसरा नम्ब 402 रकबा 0.02 हैक्टर गे.मु. श्मसान, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.68 किस्म गै.मु. शिक्षा विभाग, तथा खसरा नमबर 404 रकबा 0.28 हैक्टर किस्म गै.मु. राज सरकार कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.09 हैक्टर अर्थात लगभग 06 बीघा 14 बिस्वा बने। जिसमें सेटलमेन्ट से यह त्रूटि हुई की पुराने से नये खसरा नम्बर दर्ज करते समय राजस्व रेकर्ड में 06 बीघा भूमि कम दर्ज कर दी गई। रिपोर्ट मे प्रस्तुत नजरी नक्शा व सुपर इम्पोज नक्शा शीट से सपष्ट है कि खसरा नम्बर 210 से बने नये खसरा नम्बर 401 लगायत 404 की तरमीम भी बिना किसी सक्षम आदेश के मनमुताबिक कर दी गई। जिससे कम दर्ज रकबा को राजकीय भूमि ख़सरा नम्बर 404 में समाहित करना एवं त्रूटि पूर्ण तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

—: आदेश :—

उक्त विवेचन / विश्लेषण अनुसार वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 92ए, 188 की हद तक खारिज किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम धांगडवास के गत खसरा नम्बर 210 रकबा 12बीघा 14 बिस्वा से बने नये खसरा नम्बर 401 से 404 कुल खसरा 04 जिसका कुल रकबा 1.09 हैक्टर में कम दर्ज रकबा 06 बीघा अर्थात 0.96 हैक्टर भूमि को खसरा नम्बर 404 राजकीय सिवायचक भूमि में सम्मिलित करते हुये खसरा नम्बर 404 का वर्तमान रकबा 0.28 के स्थान पर दुरूस्त किया जाकर 1.24 हैक्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खसरा नम्बर 401 से 404 की वर्तमान तरमीम को खाजिर किया जाता है एवं तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाता है कि पूनः गत खसरा नम्बर 210 की तरमीम व वर्तमान मौका स्थिति को मध्यनजर रखते हुए नये सिरे से खसरा नम्बर 401 से 404 की तरमीम दुरूस्त कर 01 माह में पालना से अवगत करावे। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

Gopal
(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 06/09/23 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Gopal
(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
पप्पू कंवर पत्नी स्व.गणपतसिंह जी जाति राजपुत निवासी–धांगड़वास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।		1 प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धांगडवास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान । 2 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति सोजत कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सोनराज के फील्ड सिरे सिनेमा के पास सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली 3 तहसीलदार (भूमि धारक), तहसील कार्यालय सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 92ए,188 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 व 110,111,129, व 131 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :–122/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री सुरेन्द्र वैष्णव तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी 1955 अधिनियम की धारा 88, 92ए, 188 की हद तक खारिज किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम धांगडवास के गत खसरा नम्बर 210 रकबा 12बीघा 14 बिस्वा से बने नये खसरा नम्बर 401 से 404 कुल खसरा 04 जिसका कुल रकबा 1.09 हैक्टर में कम दर्ज रकबा 06 बीघा अर्थात 0.96 हैक्टर भूमि को खसरा नम्बर 404 राजकीय सिवायचक भूमि में सम्मिलित करते हुये खसरा नम्बर 404 का वर्तमान रकबा 0.28 के स्थान पर दुरूस्त किया जाकर 1.24 हैक्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खसरा नम्बर 401 से 404 की वर्तमान तरमीम को खाजिर किया जाता है एवं तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाता है कि पूनः गत खसरा नम्बर 210 की तरमीम व वर्तमान मौका स्थिति को मध्यनजर रखते हुए नये सिरे से खसरा नम्बर 401 से 404 की तरमीम दुरूस्त कर 01 माह में पालना से अवगत करावे। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 06/07/23 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.